रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042020-219158
CG-DL-E-25042020-219158

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1162] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2020/वैशाख 3, 1942
No. 1162] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2020/VAISAKHA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020

का.आ. 1305(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ.2230 (अ), तारीख 28 जून, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखंड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-50 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-60) के 157/100 कि. मी. से 177/000 कि.मी. (खेड-सिन्नर सेक्शन) तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि,) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07 अगस्त, 2019 को "दैनिक फ्री प्रेस जरनल" (अंग्रेजी) और " दैनिक लोकमत" (मराठी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-50 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-60) के कि.मी. 157/100 से कि.मी.177/000 (खेड-सिन्नर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			**जिले का नाम: नासिक**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिन्नर				
	गांव का नाम: गोंदे				
1	308	निजी	शुष्क	0.15	सोपान कारभारी जायभाये, नामदेव कारभारी जायभाये ()
			कुल	**0.15**	

[फा. सं. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3A2/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2020

S.O. 1305(E).—Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.50 (New NH-60) on the stretch of land from Km.157.100 to Km.177.000 (Khed-Sinnar Section) in Nashik District in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Free Press Journal" (English), dated the 07th August, 2019 and *"Daily Lokmat" (Marathi)* dated 07th August, 2019; under Sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 157/100 to Km. 177/000 (Khed-Sinnar Section) on the National Highway No. 50 (New NH-60) in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		**District: NASHIK**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sinnar				
	Viilage: Gonde				
1	308	Private	Dry	0.15	Sopan Karbhari Jaybhaye Namdeo Karbhari Jaybhave
			TOTAL	**0.15**	

[F. No. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3A2/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.25 19:18:30 +05'30'